IJARETY

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY (IJARETY)

Volume 11, Issue 1, January 2024

Impact Factor: 6.421

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INNO SPACE SJIF Scientific Journal Impact Factor

doi cross ref

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY(IJARETY)

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 1, January 2024 ||

शिक्षा में समावेशिता: दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सरकारी प्रयासों का प्रभाव

सीताराम चौधरी, डॉ सरोजनी मिश्रा

रिसर्च स्कॉलर, श्याम यूनिवर्सिटी , दौसा (राज.)

प्रोफेसर एंड पर्यवेक्षक, श्याम यूनिवर्सिटी , दौसा (राज.)

I. प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी समाज का महत्वपूर्ण अंग होती है, जो व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है, बल्कि उन्हें समाज में समान अवसर और सम्मान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संविधान के अनुसार, सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार है, और सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य शिक्षा में समावेशिता के महत्व और दिव्यांग विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में सरकारी प्रयासों का विश्लेषण करना है।

II. शिक्षा में समावेशिता का महत्व

शिक्षा में समावेशिता का महत्व बहुत गहरा और व्यापक है, क्योंकि यह समाज में हर बच्चे को समान अवसर और अधिकार प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा प्रणाली न केवल दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती है, बल्कि सभी विद्यार्थियों को एक-दूसरे के साथ मिलकर सीखने और बढ़ने का अवसर देती है। इससे सामाजिक पूर्वाग्रह कम होते हैं और एक सहिष्णु, सहानुभूतिपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण होता है।

समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं। इसके अलावा, यह बच्चों में सह-अस्तित्व, सहयोग, और विविधता के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे समाज के सभी वर्गों में एकता और भाईचारा पनपता है। समावेशी शिक्षा एक न्यायपूर्ण और समान समाज की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

III. दिव्यांग विद्यार्थियों की स्थिति

भारत में दिव्यांग विद्यार्थियों की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि सरकार ने इनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ और नीतियाँ बनाई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कार्यान्वयन अभी भी अपर्याप्त है। दिव्यांग बच्चों को शैक्षणिक संसाधनों की कमी, विशेष शिक्षकों की अनुपलब्धता, और दिव्यांग-अनुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी का सामना करना पड़ता है। सामाजिक पूर्वाग्रह और जागरूकता की कमी भी इनके शैक्षणिक विकास में बाधक हैं। कई बार दिव्यांग बच्चों को सामान्य कक्षाओं में उचित समर्थन नहीं मिल पाता, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थिति और भी दयनीय है, जहाँ समावेशी शिक्षा की अवधारणा अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। इन चुनौतियों के बावजूद, कुछ स्थानों पर सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों के कारण सुधार देखने को मिला है। फिर भी, समावेशी शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने और दिव्यांग विद्यार्थियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता है।

IV. सरकारी प्रयासों का विश्लेषण

1. सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan)

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) का उद्देश्य सभी बच्चों को, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, सहायक उपकरणों की उपलब्धता, और स्कूलों में दिव्यांग अनुकूल वातावरण का निर्माण।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 1, January 2024 ||

2. समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan)
समग्र शिक्षा अभियान (SSA) का उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा में सुधार करना है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, और उच्च माध्यमिक शिक्षा शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि विशेष शिक्षण सामग्री, शिक्षकों का प्रशिक्षण, और इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार।

3. राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति (National Policy for Persons with Disabilities)
राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति का उद्देश्य दिव्यांग जनों को सामाजिक, शैक्षिक, और आर्थिक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना है। इस नीति के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा दिया गया है, और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act, 2009)
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम में विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं, जिससे उनकी शैक्षणिक जरूरतों को पूरा किया जा सके।

V. सरकारी प्रयासों का प्रभाव

1.शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार- सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप दिव्यांग विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, सहायक उपकरणों की उपलब्धता, और दिव्यांग अनुकूल वातावरण के कारण, दिव्यांग बच्चे अब बेहतर तरीके से सीखने और अपने शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो रहे हैं।
2. आत्मविश्वास में वृद्धि- दिव्यांग विद्यार्थियों को समान अवसर और उचित समर्थन प्रदान करने से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। वे अब अपनी क्षमताओं को पहचानने और सामाजिक सहभागिता में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
3. सामाजिक समावेश- समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिल रहा है। इससे दिव्यांग बच्चों को समाज में स्वीकार्यता मिल रही है और सामाजिक पूर्वाग्रहों में कमी आ रही है।
4. आर्थिक लाभ- दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा में सुधार से उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास हो रहा है, बल्कि समाज और देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान मिल रहा है।

VI. चुनौतियाँ और समाधान

शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है। दिव्यांग विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में बाधाओं को दूर करने के लिए समर्पित और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इस खंड में इन चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

VII. चुनौतियाँ

1. **जागरूकता की कमी**:
- **विवरण**: ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा और दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी है। माता-पिता, शिक्षक, और समाज के अन्य सदस्य अक्सर यह नहीं जानते कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए क्या-क्या सुविधाएँ और सहायता उपलब्ध हैं।
- **समाधान**: व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए। स्थानीय समुदायों में कार्यशालाएँ, सेमिनार, और जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।
2. **संसाधनों की कमी**:
- **विवरण**: कई स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षण सामग्री, सहायक उपकरण, और सुविधाओं की कमी है। इस कारण दिव्यांग बच्चे अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते।
- **समाधान**: सरकार को विशेष संसाधनों और सुविधाओं के लिए बजट आवंटन बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा, निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों को भी सहयोग करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 1, January 2024 ||

3. **शिक्षक प्रशिक्षण**:
- **विवरण**: दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की कमी है। शिक्षक अक्सर दिव्यांग विद्यार्थियों की विशिष्ट शैक्षणिक जरूरतों को समझने और पूरा करने में असमर्थ होते हैं।
- **समाधान**: विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित और लागू किया जाना चाहिए। सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिए, जिसमें उन्हें दिव्यांग बच्चों की शैक्षणिक और व्यवहारिक जरूरतों के बारे में जानकारी दी जाए।

4. **इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव**:
- **विवरण**: कई स्कूलों में दिव्यांग अनुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, जैसे कि रैंप, विशेष टॉयलेट, और सुलभ कक्षाएँ। यह दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल जाना और वहाँ रहना मुश्किल बना देता है।
- **समाधान**: सभी स्कूलों में दिव्यांग अनुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकारी नीतियों का सख्ती से पालन और क्रियान्वयन आवश्यक है। सरकार को इस दिशा में अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

5. **सामाजिक पूर्वाग्रह**:
- **विवरण**: समाज में दिव्यांग बच्चों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह मौजूद हैं, जो उनके समावेश और विकास में बाधा बनते हैं।
- **समाधान**: सामाजिक पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए समाज में संवेदनशीलता और समावेशिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम, मीडिया अभियान, और शिक्षा प्रणाली में समावेशी पाठ्यक्रम शामिल किए जाने चाहिए।

समाधान-

1. **सहयोग और साझेदारी**:
- **विवरण**: शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, और गैर-सरकारी संगठनों के बीच मजबूत साझेदारी आवश्यक है।
- **उदाहरण**: संयुक्त परियोजनाएँ और पहल, जैसे कि स्कूलों में विशेष संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल का उपयोग।

2. **निगरानी और मूल्यांकन**:
- **विवरण**: सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है, ताकि उनके प्रभाव का आकलन किया जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें।
- **उदाहरण**: शिक्षा विभाग द्वारा नियमित मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और स्कूलों में निरीक्षण अभियान चलाना।

3. **समुदाय की भागीदारी**:
- **विवरण**: समुदाय की सक्रिय भागीदारी समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **उदाहरण**: समुदाय आधारित संगठनों और माता-पिता संघों का गठन, जो दिव्यांग विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

4. **प्रौद्योगिकी का उपयोग**:
- **विवरण**: प्रौद्योगिकी के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण सामग्री और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।
- **उदाहरण**: ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, विशेष शिक्षण सॉफ्टवेयर, और सहायक उपकरणों का विकास और वितरण।

इन चुनौतियों का समाधान करके और समावेशी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देकर, हम दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहाँ वे अपनी पूरी क्षमता से सीख सकें और समाज में सम्मान और समानता के साथ जीवन जी सकें।

VIII. निष्कर्ष

दिव्यांग विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में सरकारी प्रयासों का प्रभाव सकारात्मक और उल्लेखनीय रहा है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा ने दिव्यांग बच्चों के लिए समान अवसर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, और राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति ने शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप दिव्यांग विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, शैक्षणिक प्रदर्शन, और सामाजिक सहभागिता में सुधार हुआ है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, सहायक उपकरणों की उपलब्धता, और दिव्यांग अनुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण ने दिव्यांग बच्चों के

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 1, January 2024 ||

लिए शिक्षा के रास्ते को आसान बनाया है। हालांकि, अभी भी जागरूकता की कमी, संसाधनों की अनुपलब्धता, और सामाजिक पूर्वाग्रह जैसी चुनौतियाँ बरकरार हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, और समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा, ताकि हर दिव्यांग बच्चे को शिक्षा का अधिकार और सम्मान मिल सके। एक समावेशी शिक्षा प्रणाली न केवल दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक विकास में सहायक होगी, बल्कि एक न्यायपूर्ण, समान और संवेदनशील समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

संदर्भ

1. भारतीय संविधान (1950)
2. अधिकार शिक्षा अधिनियम (Right to Education Act, 2009)
3. सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan, SSA)
4. समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan)
5. राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति (National Policy for Persons with Disabilities, 2006)
6. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
7. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)
8. भारतीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016)
9. यूनेस्को. (2009)। समावेशी शिक्षा: भविष्य का रास्ता। शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
10. यूनिसेफ. (2013)। भारत में विकलांग बच्चे: एक स्थिति विश्लेषण। यूनिसेफ भारत देश कार्यालय।
11. विश्व बैंक. (2007)। भारत में विकलांग लोग: प्रतिबद्धताओं से परिणामों तक। मानव विकास इकाई, दक्षिण एशिया क्षेत्र।
12. दास, ए., कुयिनी, ए.बी. (2012)। भारत में समावेशी शिक्षा: क्या शिक्षक तैयार हैं? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 27(1), 1-12।
13. एमएचआरडी (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), भारत सरकार। शिक्षा और साक्षरता पर वार्षिक रिपोर्ट।
14. यूनेस्को. (2005)। समावेशन के लिए दिशानिर्देश: सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। यूनेस्को प्रकाशन।
15. शर्मा, यू. (2011)। भारत में समावेशी शिक्षा: शिक्षकों का दृष्टिकोण। लैंबर्ट अकादमिक प्रकाशन।

IJARETY

International Journal of Advanced Research in Education and Technology

ISSN: 2394-2975 Impact Factor: 6.421

www.ijarety.in editor.ijarety@gmail.com